निर्णय लिया कि 2011-12 तक जितने भी नेफ्ता बेस्ड प्लांट्स या फ्यूएल बेस्ड प्लांट्स हैं, उन सबको गैस में हम कन्वर्ट कर देंगे। हमारी अभी जो गैस की उपलब्धता है वह हमें 29 एमएमएस सीएमडी मिल रहा है। वर्तमान में जो हमारे ऑलरेडी गैस बेस्ड प्लांट्स हैं उनके लिए हमें 41 चाहिए। इस प्रकार 12 एमएमएस सीएमडी की ऑलरेडी कमी है। यदि हम पुराने-नये सारे प्लांट्स को भी गैस बेस्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 95 एमएमएस सीएमडी चाहिए। हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से बातचीत हुई है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन भी हुआ है। यह एमपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, जिसमें यह तय हो गया कि फर्टिलाइजर को टॉप प्रॉयरिटी दी जाएगी और गैस की जो भी आवश्यकता होगी, वह चरणबद्ध कर दी जाएगी। उस परिस्थिति में सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे जितने भी बंद प्लांट्स हैं, उन सारे बंद प्लांट्स को हम खोलेंगे और उसी के तहत हमने गेल के साथ एग्रीमेंट किया है। इस प्रकार दुर्गापुर, हल्दिया, रामागुंडम, तालचर, बरौनी और सिंदरी के जो बंद प्लांट्स हैं, उन सबको खोलने का निर्णय ले लिया गया है और उसमें दो तरह के हैं ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: गोरखपुर का निर्णय नहीं लिया?

श्री राम विलास पासवान: गोरखपुर में जो डंकन का प्लांट है, उसके बारे में कल स्पेशल कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया गया है और आपको इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ...**(व्यवधान)**...। इस प्रकार दो तरह के प्लांट हैं। जैसे बरौनी का एन.एफ.एल. और आर.सी.एफ. है। जो हमारे मुनाफा कमाने वाले प्लांट्स हैं उनमें काट के हम इसको चलाएंगे। डकिये का हम ज्वाइंट वेंचर के द्वारा कर रहे हैं। हल्दिया में हो सकता है कि ज्वायंट वेंचर भी न आये। वहां की सरकार का यह रिकमेंडेशन है कि यदि नहीं आये तो उसे प्राइवेट को दे दिया जाए। लेकिन ये सारे के सारे जो बंद प्लांट्स हैं, उनको खोलने का सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा, दोनों स्टेट्स राइस और पैडी के लारजेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जब भी हमारा कोई सीजन होता है, उस वक्त खासकर डी.ए.पी. की शॉर्टेज आती है और हम डी.ए.पी. नहीं डाल पाते हैं। बगैर डी.ए.पी. के नाइट्रोजन वगैरह डालने से हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसका आप क्या समाधान कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान: सर, हमें, इस बात की काफी खुशी है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें इस मामले में काफी अलर्ट हैं और खास करके दोनों जगहों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हमारी रोज बात होती रहती है। हमने एक सेल बना दिया है जिसके माध्यम से रोज बातचीत होती है और अगर कहीं कोई कमी होती है तो उसे हम पूरा करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स से भी हमारी बातचीत होती रहती है। हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हम सब्सिडी में काफी पैसा देते हैं। पूरे सीज़न के लिए हम एक बार में एक जगह पर जमा नहीं कर सकते हैं इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मंथवाइज़ रिक्वायरमेंट होती है, उसकी पूर्ति हम करते हैं और उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आती है। कभी-कभी यदि कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन हो जाती है, जैसे बारिश ज्यादा हो गई और डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो उस परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर स्वयं अथवा अन्य दूसरे मिनिस्टर्स हमें टेलिफोन करते हैं और हम उसमें स्पेशल प्रोविजन भी करते हैं जिसमें थोड़ी कठिनाई भी होती है।

Denial of treatment by CGHS empanelled hospitals

*4. SHRI VARINDER SINGH BAJWA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of multi-speciality hospitals in Delhi and adjoining areas which had agreed to treat C.G.H.S. card holders without payment from beneficiaries at the time of treatment and to recover it from Government, have now discontinued that facility;

(b) if so, the names of the concerned hospitals and the reasons for the withdrawal of facility, thereby causing hardship, particularly to pensioners; and

(c) the action proposed by Government to restore the earlier arrangements?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In cases of non-emergency, the empanelled hospital is required to provide treatment on credit basis only to Members of Parliament, Pensioners, Ex-Members of Parliament, Freedom Fighters and Employees of the Ministry of Health and Family Welfare. Other serving employees are required to claim reimbursement from their respective Ministry/Department. No incident of refusal by hospitals has been reported.

To ensure that hospitals provide the credit facility, the agreement entered into with them at the time of their empanelment has deterrent penal provision.

(b) and (c) In view of reply to (a), question does not arise.

SHRI VARINDER SINGH BAJWA: Sir, in answer to part (a) of the question, the hon. Minister has stated that in cases of non-emergency, the empanelled hospital is required to provide treatment on credit basis only to Members of Parliament, pensioners, ex-Members of Parliament, freedom fighters and employees of the Ministry of Health and Family Welfare. Other serving employees are required to claim reimbursement from their respective Ministry/Department.

श्री सभापति: आप सवाल जल्दी पूछ लें।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: मेरा सप्लिमेंटरी यह है कि जो सी.जी.एच.एस. कार्ड होल्डर हैं, उनको कैश में पैसे जमा कराने पड़ते हैं और बाद में reimbursement कराना पड़ता है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Under-utilization of funds by Himachal Pradesh

*5. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2114 given in the Rajya Sabha on the 19th December, 2008 and state:

(a) whether it is a fact that Rs. 10.42 crore only has been utilized out of Rs. 71.03 crore allocated by Government for financial year 2008-09 under National Rural Health Mission (NRHM) by the Himachal Pradesh Government;

(b) if so, the reasons therefor;